



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-250

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281297 दिनांक 07/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shobhit Bansal S/o Om Prakash Bansal	श्री ओमप्रकाश बंसल पुत्र श्री हरीनारायण बंसल	45	133.33 SQ. YARD	Cooperative	LAJPAT NAGAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेजों एवं सीपीआरएमएम में उपलब्ध रिकार्ड से दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। प्रार्थी श्री शोभित बंसल पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश बंसल द्वारा भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज योजना लाजपत नगर का नाम हस्तान्तरण करते हुए लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 20.03.2013 को श्री ओमप्रकाश बंसल पुत्र श्री हरीनारायण बंसल को जारी किया गया था। श्री शोभित बंसल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा अपने पिता श्री ओमप्रकाश बंसल एवं माता श्रीमती ज्योति बंसल का मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा वंशावली तथा अपनी बहिन रिधीमा बंसल द्वारा श्री शोभित बंसल के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 09.02.2026 की प्रति के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मृत्यु उपरान्त हस्तान्तरण से संबंधित होने के कारण विज्ञप्ति प्रकाशन अपेक्षित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shobhit Bansal S/o Om Prakash Bansal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004